प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

-- कोरम:-

माननीय श्री एल.सी. भादू न्यायाधीश एवं

माननीय श्री वी.के. श्रीवास्तव, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील संख्या. 3389/1999

रविशंकर

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु विचारार्थ

सही/-

वी.के श्रीवास्तव

न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री एल.सी. भादू

सही/-

एल.सी.भादू

न्यायाधीश

25-09-2006

6-09-2006 के लिए सूचीबद्ध करें

सही/-

न्यायाधीश

25–09–2006

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरमः– माननीय श्री एल.सी.भादू, न्यायाधीश एवं

माननीय श्री वी.के. श्रीवास्तव, न्यायाधीश

दाण्डिक अपील संख्या 3389/1999

रविशंकर

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

---उपस्थितः–

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलार्थी की वकील श्रीमती उषा चंद्राकर।

श्री यू.एन.एस. देव, राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक।

निर्णय

(26 सितम्बर, 2006 को दिया गया)

माननीय श्री वी.के. श्रीवास्तव, न्यायाधीश

यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत की गई है, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जशपुरनगर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 113/1999 में दिनांक 27–11–1999 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय के खिलाफ है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी

मानते हुए आजीवन कारावास और 5000/– रुपये के जुर्माने, जुर्माना अदा न करने पर पांच साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा से दण्डित किया था ।

2) अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि रायमोहन लोहार की नाबालिग बेटी फुलेश्वरी और अपीलार्थी के बीच कुछ संबंध थे। घटना की तारीख से पहले भी अपीलार्थी ने फुलेश्वरी को ले लिया था और उसे अपने पास रख लिया था। अपीलार्थी घासी जाति का है। अपीलार्थी फुलेश्वरी से शादी करना चाहता था और उसने इसके लिए प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन रायमोहन ने अपनी जाति अलग होने के कारण इस पर सहमति नहीं जताई और अपनी बेटी को हरराडीपा स्थित वैवाहिक घर भेज दिया।इन सब कारणों से अपीलार्थी परेशान था। दिनांक 2–3–1999 को शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच होली पर्व के दौरान रायमोहन अपनी पत्नी सुखमनी बाई, पिता लल्लू राम, चचेरे भाई सुखन राम एवं ससुर के साथ घर में बैठकर हड़िया (नशीला पदार्थ) पी रहे थे विवाद को सुलझाने के लिए सोहरन राम एवं अपीलार्थी वहां आये थे। दोनों में कुछ कहासुनी हो गई। लल्लू राम ने सोहरन राम को थप्पड़ मार दिया, जिससे सोहरन राम वहां से चला गया। चाकू लेकर आये अपीलार्थी ने रायमोहन के पेट पर वार कर दिया और वहां से भागने का प्रयास किया। लल्लू राम ने पीछा कर उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अपीलार्थी ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया और मौके से भाग गया। रायमोहन गंभीर रूप से घायल हो गया, उसकी आंत जख्म से बाहर आ गई वाहन सुविधा के अभाव में रायमोहन को रात में अस्पताल नहीं ले जाया जा सका। अगली सुबह जब उसे थाना ले जाया गया तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

3) ग्राम कोटवार सिलवेस्तर लकड़ा ने मर्ग सूचना एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। पलटू सिंह मारकन, प्रभारी अधिकारी, थाना सन्ना ने मर्ग सूचना एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की, मर्ग जांच करने एवं अपराध की जांच करने के लिए घटनास्थल पर गए। मौके पर उन्होंने मर्ग जांच की, अपनी मर्ग रिपोर्ट तैयार की तथा मृतक रायमोहन के शव को शव–परीक्षण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

मनोरा भेज दिया। डॉ. रामधन सिंह पेकरा ने मृतक रायमोहन के शव का शव–परीक्षण किया तथा रायमोहन की मृत्यु आंतरिक अंगों के फटने के कारण सेप्टिक शॉक हेमोथ्रोक्स के कारण होना बताया तथा मृत्यु हत्या की प्रकृति की बताई। उन्होंने मृतक के शरीर पर पाए गए सभी चोटों का विवरण दिया। शव–परीक्षण रिपोर्ट तैयार की और रायमोहन के कपड़ों के साथ उसे थाना भेज दिया।

4) जांच के दौरान घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया। अपीलार्थी के ज्ञापन पर अपीलार्थी से एक चाकू जब्त किया गया, जिसकी जांच मेडिकल ऑफिसर द्वारा की गई। मौके पर मिले एक लुंगी और तौलिया को जब्त किया गया। एकत्र किए गए सभी सामान को जांच के लिए फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, रायपुर भेजा गया। सहायक रासायनिक परीक्षक ने जांच के दौरान चाकू और अन्य सामान पर खून के धब्बे पाए। गवाहों के बयान द.प्र.सं की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए और उचित जांच के बाद पुलिस ने अपीलार्थी के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जशपुरनगर की अदालत में चालान पेश किया, जिन्होंने मामले को सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

5) अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाया गया था। आरोप तय किए गए, उसे पढ़कर सुनाया गया और समझाया गया, जिसने दोष त्याग दिया और उसका बचाव यह था कि वह निर्दोष है, वह रायमोहन की बेटी से शादी करना चाहता था, इसलिए, उस दुश्मनी के परिणामस्वरूप, रायमोहन के परिवार के सदस्यों ने उसे इस मामले में झूठा फंसाया है।

6) विद्वान विचारण न्यायाधीश ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अपीलार्थी को रायमोहन की हत्या के लिए दोषी ठहराया और तदनुसार सजा सुनाई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

7) अपीलार्थी ने मृतक रायमोहन की हत्या से इनकार नहीं किया। वैसे भी, डॉ. रामधन सिंह पेकरा (अ.सा.–7) के साक्ष्य और शव–परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श –पी/7) से यह स्थापित होता है कि मौत रायमोहन की हत्या हत्यारी प्रकृति की थी। रायमोहन को निम्नलिखित चोटें लगी थीं:

(i) बाएं श्वासनली के दोनों तरफ और गर्दन के ऊपर अण्डाकार चोट (चोट) थी। वे बाईं तरफ तीन और दाईं तरफ एक थी।

(ii) छाती के निचले हिस्से पर एक चाकू का घाव ऊपर की ओर मध्य रेखा की ओर निर्देशित था। मध्य रेखा से लगभग 6.5" तथा बाएं निप्पल से 6" नीचे, 1¼%" x ½" x 5" आकार का।

(iii) आंतरिक परीक्षण में डायाफ्राम का बायां भाग छिद्रित पाया गया। अनुप्रस्थ तथा अवरोही बृहदान्त्र के जंक्शन पर बड़ी आंत छिद्रित है तथा 8 वीं पसली की आंतरिक सतह फ्रैक्चर पाई गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8) सुखमनी बाई (अ.सा.–3), लल्लू राम लोहार (अ.सा.–4) तथा सुखन राम (अ.सा.–6) अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित प्रत्यक्षदर्शी हैं। उन्होंने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि अपीलार्थी ने चाकू लिया तथा रायमोहन पर वार किया, जिससे उसके पेट पर चोटें आईं तथा उस घाव से आंत बाहर आ गई। उनकी प्रति–परीक्षण में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, जिससे उनके कथन को गलत साबित किया जा सके।

9) ग्राम कोटवार सिल्वेस्टर लकड़ा (अ.सा.–1) ने अपने बयान में कहा है कि रात को लगभग 8 बजे रायमोहन की पत्नी आई तथा उसने बताया कि अपीलार्थी ने रायमोहन पर चाकू से वार किया है। रायमोहन को चाकू से मारा गया और उस घाव से आंत बाहर आ गई। उसने जाकर चोटें देखीं और पाया कि रायमोहन के पेट पर चोट लगी थी और आंत बाहर आ गई थी। वाहन के अभाव में वह घायल को थाना नहीं ले जा सका रात में ही घायल को थाना ले जाया जा रहा था। अगली सुबह जब घायल को थाना ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ग्राम कोटवार

सिलवेस्टर लकड़ा (अ.सा.–1) ने थाना जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रथम सूचना रिपोर्ट) सिलवेस्टर लकड़ा (अ.सा.–1) और पलटूसिंह मरकाम (अ.सा.–9) द्वारा साबित की गई है। सिलवेस्टर लकड़ा (अ.सा. –1) और पलटूसिंह मरकाम (अ.सा.–9) के साक्ष्य में कोई कमी नहीं है और प्रत्यक्ष साक्ष्य सिलवेस्टर लकड़ा (अ.सा.–1) और एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) के साक्ष्य से पूरी तरह से पुष्ट है।

10) अपीलार्थी (प्रदर्श–पी/4) के ज्ञापन कथन के अनुसार अपीलार्थी की निशानदेही पर एक चाकू बरामद किया गया। प्रदर्श–पी/13 से यह भी स्पष्ट है कि चाकू को रासायनिक जांच के लिए भेजा गया था और सहायक रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार चाकू पर खून के धब्बे पाए गए थे।

11) उपर्युक्त चर्चा से यह स्थापित होता है कि अपीलार्थी वह व्यक्ति था जिसने रायमोहन पर चाकू से वार किया था और घायल होने के कारण रायमोहन की मृत्यु हो गई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12) अपीलार्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलार्थी का रायमोहन को मारने का कोई इरादा नहीं था, वह खुद का बचाव करने के लिए निजी बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए मजबूर था। उसने रायमोहन को एक बार चाकू से घायल किया, इसलिए अपीलार्थी के खिलाफ अपराध भा.द.वि. की धारा 304 भाग–II से आगे नहीं जाता। दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने इस तर्क का इस आधार पर जोरदार विरोध किया कि अपीलार्थी द्वारा पहुंचाई गई चोट खतरनाक थी, इसलिए अपीलार्थी का मामला भा.द.वि. की धारा 300 के तहत बताए गए किसी भी अपवाद के अंतर्गत नहीं आता।

13) मृतक रायमोहन के चचेरे भाई सुखन राम (अ.सा.–6) ने अपने साक्ष्य में कहा कि जब अपीलार्थी एक व्यक्ति के साथ आया, तो उसकी भाभी ने दोनों व्यक्तियों को अपने घर से बाहर जाने के लिए कहा। उन्होंने आगे कहा कि दूसरा व्यक्ति मौके से चला गया, लेकिन अपीलार्थी वहीं रहा।

उन्होंने यह भी कहा कि उस समय रायमोहन खड़ा था, उसने अपीलार्थी को पकड़ लिया और उसे यह कहते हुए नीचे गिरा दिया कि "तुम बार–बार मेरे घर क्यों आ रहे हो"। इसके बाद, अपीलार्थी ने उसके पेट पर चाकू घोंप दिया और मौके से भाग गया।

14) अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से ही यह स्पष्ट है कि मृतक ही हमलावर था जिसने न केवल अपीलार्थी को डांटा, बल्कि उसे जमीन पर भी पटक दिया, इसलिए अपीलार्थी के पक्ष में व्यक्ति की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार अर्जित हुआ, लेकिन उसका अधिकार भा.द.वि. की धारा 99 और इसके अध्याय IV में निहित अन्य प्रावधानों में निहित प्रतिबंधों के अधीन था। मृतक रायमोहन ने केवल अपीलार्थी को जमीन पर पटक दिया था, इसलिए शरीर की निजी प्रतिरक्षा का अधिकार राजमोहन की मृत्यु कारित करने तक विस्तारित नहीं होता है। उसे केवल खुद को बचाने की सीमा तक निजी प्रतिरक्षा का अधिकार था, लेकिन उसने अपने अधिकार का अतिक्रमण किया और राजमोहन की गैर इरादतन हत्या कर दी। जाहिर है कि यह पूर्व–योजना का मामला नहीं है और यह भी प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का राजमोहन की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अचानक उसने निजी बचाव के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए राजमोहन पर चाकू से हमला कर दिया, इसलिए, हालांकि अपीलार्थी गैर इरादतन हत्या करने का दोषी था, लेकिन उसका कृत्य भा.द.वि. की धारा 300 के तहत अपवाद–2 के अंतर्गत आता है, इसलिए, अपीलार्थी हत्या के अपराध के लिए दोषी नहीं था, लेकिन वह गैर इरादतन हत्या के लिए दंडनीय अपराध के लिए दोषी था, जो हत्या के बराबर नहीं है, यानी भा.द.वि. की धारा 304 भाग II के तहत वह दोषी है|

15) परिणामस्वरूप, अपील आंशिक रूप से सफल होती है, भा.द.वि.की धारा 302 के तहत विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज की गई सजा और विचारण न्यायालय द्वारा उस अपराध के लिए लगाए गए दंड को अलग रखा जाता है, इसके बजाय अपीलार्थी को भा.द.वि. की धारा 304 भाग–II के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे दस साल के कठोर कारावास

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और 1000/– रुपये (एक हजार रुपये) का जुर्माना भरने की सजा सुनाई जाती है, जुर्माना न भरने पर 6 (छह) महीने के लिए कठोर कारावास की सजा काटनी होगी। अपीलार्थी कानून के अनुसार अभिरक्षा की अवधि को समायोजित करने का हकदार होगा।

सही/–	सही/–
एल.सी.भादू	वी.के.श्रीवास्तव
न्यायाधीश	न्यायाधीश
26–09–2006	

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Ms. Yogita Naik, Advocate